न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 888 सन 2019
अनवान :–

1. जिन्द्रपाल पुत्र जीराम जाति ब्राह्मण निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 13/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्याा 161/167 के खसरा न0 1/2 की 3.1750हैक खसरा न0 7/7.6780हैक भूमि खसरा न0 115/0.2020हैक खसरा न0 142 की 11.1700हैक कुल 22.2250हैक भूमि है जिसे वादी वादी के भाई शिशपाल , रजीराम , काशीराम , बालूराम व माता विधा का बहिब दर्ज है ।

राजस्व पटवारी द्वारा सहबन सेवादी का जितेन्द्र दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम जिन्द्रपाल है तथा वादी के सभी दस्तावेजात में भी जिन्द्रपाल दर्ज है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड गलत तौर से दर्ज रहने के कारण वादी राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभी नही ले पा रहा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से जिन्द्रपाल दर्ज करवा पाने का अधिकारी है ।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार निवेदन किया की वादीया नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये वादीया ने यह वाद पेश किया गया है।

वादीया का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ललानिया के खाता संख्याा 161/167 के खसरा न0 1/2 की 3.1750हैक खसरा न0 7/7.6780हैक भूमि खसरा न0 115/0.2020हैक खसरा न0 142 की 11.1700हैक कुल 22.2250हैक भूमि है में वादी का नाम जितेन्द्र के स्थान पर जिन्द्रपाल संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्याा 161/167 के खसरा न0 1/2 की 3.1750हैक खसरा न0 7/7.6780हैक भूमि खसरा न0 115/0.2020हैक खसरा न0 142 की 11.1700हैक कुल 22.2250हैक भूमि है जिसे वादी वादी के भाई शिशपाल , रजीराम , काशीराम , बालूराम व माता विधा का बहिब दर्ज है ।

राजस्व पटवारी द्वारा सहबन सेवादी का जितेन्द्र दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम जिन्द्रपाल है तथा वादी के सभी दस्तावेजात में भी जिन्द्रपाल दर्ज है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड गलत तौर से दर्ज रहने के कारण वादी राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभी नही ले पा रहा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से जिन्द्रपाल दर्ज करवा पाने का अधिकारी है ।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे शिक्षा विभाग का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र ,आम आदमी का आधार कार्ड, भारत सरकार का श्रमिक कल्याण कार्ड,परिवार राशन कार्ड, कैनरा

उप... (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

बैक की पास बुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका ,वादी का मुल निवासी प्रमाण पत्र, मुल निवासी प्रमाण पत्र , आयकर कार्ड , सभी में वादी का नाम जिन्द्रपाल दर्ज है सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में जितेन्द्र अंकित हुआ है जिसे संशोधन करवाकर जिन्द्रपाल दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 161/167 के खसरा न0 1/2 की 3.1750हैक खसरा न0 7/7.6780हैक भूमि खसरा न0 115/0.2020हैक खसरा न0 142 की 11.1700हैक कुल 22.2250हैक भूमि जिसमें वादी का नाम जितेन्द्र अंकित है।

वादी का कथन है कि पटवारी हल्का ने विरासतन नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम जिन्द्रपाल के स्थान पर जितेन्द्र अंकित कर दिया जो संशोधन योग्य है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये

वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात शिक्षा विभाग का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र ,आम आदमी का आधार कार्ड, भारत सरकार का श्रमिक कल्याण कार्ड,परिवार राशन कार्ड, कैनरा बैक की पास बुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका ,वादी का मुल निवासी प्रमाण पत्र, मुल निवासी प्रमाण पत्र , आयकर कार्ड , सभी में वादी का नाम जिन्द्रपाल दर्ज है

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी का नाम जिन्द्रपाल होना प्रतित होता है तथा प्रस्तुत नामान्तरकण में अंकित वादी की प्रविष्टी के अनुसार वादी का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जितेन्द्र के स्थान पर जिन्द्रपाल करवाने का अधिकारी है ।

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज भी पेश नही किया गया है यदि वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 161/167 के खसरा न0 1/2 की 3.1750हैक खसरा न0 7/7.6780हैक भूमि खसरा न0 115/0.2020हैक खसरा न0 142 की 11.1700हैक कुल 22.2250हैक भूमि में वादी का नाम जितेन्द्र के स्थान पर जिन्द्रपाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/07/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. जिन्द्रपाल पुत्र जीराम जाति ब्राह्मण निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 888 सन 2019 निर्णय दिनांक-13/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा ललानिया के खाता संख्याा 161/167 के खसरा न0 1/2 की 3.1750हैक खसरा न0 7/7.6780हैक भूमि खसरा न0 115/0.2020हैक खसरा न0 142 की 11.1700हैक कुल 22.2250हैक भूमि में वादी का नाम जितेन्द्र के स्थान पर जिन्द्रपाल संशोधन किया जाता है" इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक13/07/2020को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner